10

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक:-ह.1(2)पीएस/हथ/आक्शन/2017/ 1268 दिनांक 14/2/17

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग में प्रयोग शुदा कारतूसों के खाली खोखों से प्राप्त निम्नांकित धातुओं की सिल्लियों की खुली नीलामी नये पुलिस मुख्यालय, लालकोठी राज0 जयपुर के परिसर में दिनांक 17.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

क्र.सं.	धातु का नाम	अनुमानित मात्रा	बोली प्रतिभूति राशि
1	पीतल	29739.854 कि.ग्रा.	50,000/-
2	एल्यूमिनियम	502.911 कि.ग्रा.	1000/-
3	तांबा	13.642 कि.ग्रा.	1000/-

नोटः-नीलामी की विस्तृत शर्ते किसी भी कार्य दिवस को निम्न हस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा विभागीय वैब साइट WWW.rajpolice.nic.in पर देखी जा सकती है।

(मुकुट बिहारी)
पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय
राज. जयपुर

नियम एवं शर्ते

1. कारतूसों के खाली खोंखों से प्राप्त उपरोक्त धातु की मात्रा बढाई भी जा सकती है।
2. सफल बोली लगाने वाले के अलावा अन्य बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति राशि नीलामी की कार्यवाही के पश्चात लौटा दी जायेगी। सफल बोली लगाने वाले को नीलामी समाप्ति पर पीतल हेतु नीलामी की कुल राशि का 25% तथा ताम्बा एवं एल्यूमिनियम हेतु पूर्ण देय राशि तत्काल जमा करानी होगी, इस राशि में बोली प्रतिभूति राशि को समायोजित कर दिया जावेगा।
3. पीतल हेतु सफल बोली लगाने वाले नीलामी की तिथि से एक माह की समयावधि में केन्द्रीय भण्डार में धातु का मूल्य जमा करवाकर धातु प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा समय पर जमा करवाई जाने वाली धनराशि के अनुसार ही उसे धातु उपलब्ध करवायी जावेगी तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समायोजन अंतिम किस्त में किया जावेगा।
4. निर्धारित अवधि में नीलामी द्वारा निर्धारित धनराशि सफल बोली लगाने वाले द्वारा नहीं जमा करवाने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा करवाये जाने के एक सप्ताह के अन्दर सामान केन्द्रीय भण्डार से उठाये जाने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। विलम्ब से सामान उठाये जाने पर रूपये 100/-प्रतिदिन वेयर हाउस चार्जेज अलग से वसूल किये जायेंगे।
5. इस प्रकरण से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करने का अधिकार पूर्णत: अधो-हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय
राज. जयपुर